

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ ,जिला भीलवाडा

बईजलास :- अर्पिता सोनी ,आर0ए0एस0

D.N:- 428

प्रकरण संख्या 230/17

उनवान

घीसु लाल पिता धन्ना कुमावत उम्र बालिग निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ

प्रार्थी

बनाम

- 1- गोपाल पिता धन्ना कुमावत उम्र बालिग निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ
- 2 -कैलाश पिता भवाना कुमावत उम्र बालिग निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ
- 3-उकॉर पिता भवाना कुमावत उम्र बालिग निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ

विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

-:आदेश:-

दिनांक...29/5/17


प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री सजय कुमार के जरिये प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/सयुक्त खाते की भुमि ग्राम मानपुरा प0ह0 मानपुरा की सरहद में आ0न0 727/3 रकबा 2 बिघा 10 बिस्वा खातेदारी में स्थित है । विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाईं झगडा करते है अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र सलगन है प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया गया । प्रस्तुत पत्रावली में विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली में सलगन जमाबन्दी सम्वंत 2069-72 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात खातेदार काश्तकार है पडौसियो के विवाद करने बाबत् शपथपत्र सलगन है पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है ।

अतःप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0स्वीकार कि ग्राम मानपुरा प0ह0 मानपुरा की सरहद में आ0न0 727/3 रकबा 2 बिघा 10 बिस्वा खातेदारी भुमि की बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है पत्थरगढी हेतु भु-अभिलेख निरीक्षक 150 को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कमिश्नर फीस 150/रूपये तय किये जाते है जो वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मोके पर अदा करेगा। पत्थरगढी शुल्क 100/रूपये जरिये चालान राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो ।

आदेश सुनाया गया ।


(अर्पिता सोनी)कारी
माण्डलगढ जि-भीलवाडा
उपखण्ड अधिकारी,माण्डलगढ